

गेपक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में.

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा ।

पटना, दिनांक :

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी.2230017890102) राज्य योजना स्कीम कोड-I,AB-5552 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2257 दिनांक-24.5.16 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है।

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ(28-01) से राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹10,000/- (रु० दस हजार) मात्र की दर से श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-771 दिनांक-12.08.16 के आलोक में अमरपुरी, दिल्ली से विमुक्त अनुसूचित जाति श्रेणी के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए	सामग्री एवं पूर्तियाँ(21 01) इकाई से रु० 1500/- 30 दिन के राशन एवं रु० 500/- भोजन नास्ता, वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर की दर से श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक- 771 दिनांक-12.08.16 के आलोक में अमरपुरी, दिल्ली से विमुक्त अनुसूचित जाति श्रेणी के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए	कुल आवंटित राशि कॉलम (3+4)
1	2	3	4	5
दरभंगा	1	10000	2000	12000

कुल आवंटित राशि ₹ 12,000 (₹ बारह हजार) मात्र

- यह आवंटन कुल वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.3.16, पत्रांक- 4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
(Signature)
28/09/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0- 78

पटना, दिनांक 31/0/16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूत्रार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(Signature)
28/09/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

नं

ज्ञापक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0 78

पटना, दिनांक 31/10/16

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ *संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सहायक श्रमायुक्त(शोध) एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.स०प्रे०सं०-283(श्रमपक्ष) दिनांक-12.09.16 के आलोक में / प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

Ameh
29/09/16

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त,बिहार।